न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 15/13 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2013/0015

उनवान

1. रामजीलाल पुत्र मवासी
2. हरीचरन पुत्र धन सिंह
3. कप्तान सिंह पुत्र धन सिंह
4. चन्द्रभान पुत्र धन सिंह

} जाति काछी निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. अनेक सिंह
2. रामनिवास
3. उत्तम सिंह

} पुत्रान विजय सिंह ज़ाति ठाकुर नि0 रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

4. निरंजन सिंह पुत्र रज्जूराम जाति लोधा निवासी लखनपुर तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. रामचन्द्र बंसल पुत्र देवीराम जाति वैश्य निवासी रूदावल तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी रूपवास दि0 19.06.2019 प्र.सं. 168/14 उनवानी अनेक सिंह बनाम रामजीलाल।

उपस्थित :–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एवं हेमराज शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री प्रमोद उपमन वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय

दिनांक–07.11.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 1968/1351 रकवा 1.15 बीघा वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में स्थित है। विवादित आराजी से प्रतिवादीगण अपीलाण्ट का कभी कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है एवं ना ही किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1353/1.05 व 2143/1352 रकवा 10 विस्वा वाके ग्राम रूपवास में स्थित है, जो कि मौके पर राजस्व रिकार्ड में लम्बवत तिरछी है। प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने अपनी आराजी को अपनी मर्जी से आडा बाटकर सिचांई विभाग के नाले को रवेट

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कर वादी रैस्पो0 की आराजी को घेरते हुये नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया है। वादी रैस्पो0 ने जब नींव खोदने की मना की तो वह झगडा फसाद को उतारू हो गये। यदि प्रतिवादीगण अपीलाण्ट अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाब हो गये तो वादी रैस्पो0 को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि खसरा नम्बर 1698/1351 रैस्पो0 की खातेदारी की है। अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 1353 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा का है। धारा 188 राजस्थान काश्तकारी में यह बताना होगा कि अपीलाण्ट ने रैस्पो0 की आराजी में किस प्रकार दखलअंदाजी की, परन्तु प्रकरण में इस तथ्य बाबत् कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं हुयी। अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी में पक्का निर्माण करने की कोई साक्ष्य ही नही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी रैस्पो0 बिना दस्तावेजी साक्ष्य के डिक्री कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। विवादित आराजी के संबंध में एक अन्य दावा अनेक सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन था एवं दोंनो दावे में वादकरण समान ही था, तो अधीनस्थ न्यायालय को सीपीसी की धारा 10 के आधार पर पूर्व में विचाराधीन दावे की कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने मौका भी देखा गया है तथा साक्ष्य भी आयी है। परन्तु अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट बाबत् कोई विवेचना नहीं की गयी है। प्रकरण में यह तथ्य साबित ही नहीं है कि किस प्रकार की धमकी दी गयी है। मात्र रिकार्डे खातेदार के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को पाबन्द नहीं करा सकते। साक्ष्य आना जरूरी है, जो अधीनस्थ न्यायालय में हुयी ही नहीं। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री खसरा नम्बर 1698/1351 पर पारित की है। जिसके अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार ना होकर रैस्पो0 खातेदार काश्तकार हैं। इस डिक्री से अपीलाण्ट किस प्रकार परिवेदित हैं। अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कुछ कथन नहीं किया। यदि रैस्पो0 अपीलाण्ट की आराजी में दखल करते हैं तो अपीलाण्ट का पृथक से दावा करना चाहिये था या प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि दर्ज करानी चाहिये थी। जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। सीपीसी की धारा 10 तब लागू होगी जब पक्षकार समान हो एवं वादकरण भी एक ही समान हो। हस्तगत प्रकरण में पक्षकार अलग–अलग हैं एवं वादकरण की दिनांक भी अलग अलग है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 2018 पेज 655, 299, 616 का उद्धरण प्रस्तुत करने हुये अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2069-72 के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैस्पो0 विवादित आराजी खसरा नम्बर 1968/1351 रकवा 1.15 बीघा वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी के अपीलाण्ट ना तो खातेदार काश्तकार हैं एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय में वादी रैस्पो0 का कथन रहा है कि प्रतिवादी अपीलाण्ट अपनी आराजी खसरा नम्बर 1353 रकवा 01 बीघा 05 विस्वा की आड में वादी रैस्पो0 की आराजी पर जबरन नींव खोदकर अतिक्रमण करना चाहते हैं। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलाण्ट को वादी रैस्पो0 की आराजी खसरा नम्बर 1968/1351 रकवा 1.15 बीघा वाके ग्राम रूदावल तहसील रूपवास में प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को कोई पक्का–कच्चा निर्माण कार्य एवं अतिक्रमण नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है। जिससे अपीलाण्ट को किसी प्रकार से परिवेदित नहीं माना जा सकता क्योंकि स्थायी निषेधाज्ञा केवल वादी रैस्पो0 के रकवे में दखल अंदाजी नहीं करने बाबत् जारी की गयी है। यदि रैस्पो0, अपीलाण्ट की आराजी में दखल अंदाजी करते हैं, तो वह पृथक से सक्षम स्तर पर कार्यवाही करने को स्वतंत्र हैं। जहॉ तक प्रकरण में सीपीसी की धारा 10 लागू होने का प्रश्न है ? सीपीसी की धारा 10 तभी लागू होगी जब प्रकरण में पक्षकार समान हो एवं वादकरण उत्पन्न होने की दिनांक एक समान ही हो। दोनों प्रकरण में कुछ पक्षकार समान हैं एवं वादकरण उत्पन्न होने की दिनांक भी समान नहीं है। अतः अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण नहीं हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.06.2019 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 07.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर